न्यायालय राजस्व गण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2088—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार देवेन्द्रनगर, जिला—पन्ना के प्रकरण क्रमांक 2/अ—19/2013—14/निगरानी

....

1— कन्छेदीलाल दुबे बन्दी प्रसाद दुबे
2— राजेश पुत्र कन्छेदीलाल दुबे
3— प्रवीण कुमार पुत्र कन्छेदीलाल दुबे
4— शकुन्तलादेवी पुत्री कन्छेदीलाल दुबे
5— श्रृदादेवी पुत्री राजेश कुमार द्विवेदी
6— गणेश प्रसाद द्विवेदी पुत्र बन्दी प्रसाद द्विवेदी
7— अशीष कुमार द्विवेदी पुत्र गणेश प्रसाद द्विवेदी
8— अमन कुमार द्विवेदी पुत्र गणेश प्रसाद द्विवेदी
9— अंकित कुमार द्विवेदी पुत्र गणेश प्रसाद द्विवेदी
10— ममता देवी पुत्री गणेश प्रसाद द्विवेदी
11— अवधप्रसाद द्विवेदी पुत्र गोरेलाल द्विवेदी
12— पुष्पेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र अवधप्रसाद द्विवेदी
13— मुन्नालाल द्विवेदी पुत्र अवधप्रसाद द्विवेदी
14— फुल्ली देवी पुत्री अवधप्रसाद द्विवेदी
15— राधिकाप्रसाद द्विवेदी पुत्री गोरेलाल द्विवेदी
16— सौरभ द्विवेदी पुत्र राधिकाप्रसाद द्विवेदी
17— अनीता देवी पुत्री राधिकाप्रसाद द्विवेदी
18— राधेश्याम पुत्र गोरेलाल द्विवेदी
19— गौरव द्विवेदी पुत्र राधेश्याम द्विवेदी
20— संध्या देवी पुत्री राधेश्याम द्विवेदी
निवासीगण— ग्राम बड़ागांव, तहसील देवेन्द्रनगर
जिला—पन्ना, म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1— प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल बड़ागांव, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला— पन्ना म0प्र0
2— म.प्र. शासन

.....................अनावेदकगण

....

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 3-10-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार देवेन्द्रनगर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ मैंन प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार देवेन्द्रनगर , जिला–पन्ना के न्यायालीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 02/अ–19/वर्ष 2013–2014 में प्रतिवेदन दिनांक 05.06.2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पन्ना, जिला–पन्ना के न्यायालीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 103/बी–121/वर्ष 2013–2014 में प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(1) के तहत आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ताओं की ओर से विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम बड़ागांव तहसील देवेन्द्रनगर स्थित आबादी की भूमि आराजी नं0 792 पर पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी पुष्टि तहसीलदार देवेन्द्रनगर द्वारा न्यायालयीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 141/बी–121/वर्ष 1993–94 में पारित आदेश दिनांक 30.06.1995 द्वारा पट्टे की पुष्टि की गई, जिसका प्रीमियम जमा करवाकर उक्त आबादी क्षेत्र का पट्टा निगरानीकर्तागणों को प्रदाय करने का आदेश पारित किया गया है । प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बड़ागांव जिला–पन्ना को ग्राम बड़ागांव स्थिर शासकीय आराजी नं0 798/1 रकबा 15.730 के अंशभाग रकबा 4.00 है0 की भूमि पर विद्यालय के निर्माण हेतु सुरक्षित किये जाने हेतु स्वीकृति चाही गई, जिसे प्रकरण क्रमांक 02/अ–19/वर्ष 2013–14 प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बड़ागांव बनाम म0प्र0 शासन दर्ज किया गया । जिसमें माननीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह बागरी विधान सभा–59 गुनौर द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी नं0 798/1 रकबा 15.730 है0 के अंशभाग रकबा 4.00 है0 विद्यालय के नाम सुरक्षित किये जाने की अनुशंसा की गई ।

4/ निगरानीकर्ता अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तहसीलदार देवेन्द्रनगर, जिला–पन्ना द्वारा दिनांक 05.06.2014 के द्वारा जांच प्रतिवेदन में इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि ग्राम बड़ागांव की भूमि आराजी नं0 792 पर निगरानीकर्ताओं के 01 से लगायत 20 आज्ञा–पत्र निरस्त करने की प्रक्रिया अनपाते हुये भूमि खसरा नं0 792 रकबा 0.82 है0 की भूमि ग्राम

बड़ागांव के हई स्कूल के नाम सुरक्षित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)पन्ना, जिला–पन्ना को प्रेषित किया गया । इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना, जिला–पन्ना द्वारा तहसीलदार देवेन्द्रनगर के प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर प्रकरण क्रमांक 103/बी–121/वर्ष 2013–14 दर्ज कर आदेश दिनांक 11.06.2014 के द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसा सहित कलेक्टर पन्ना की ओर प्रषित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यहॉ यह भी अवलोकनीय है कि प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बड़ागांव जिला–पन्ना के विद्यालय निर्माण हेतु भूमि आराजी नं0 798/1 रकबा 4.00 है0 भूमि सुरक्षित है । इसी तरह भूमि आराजी नं0 798/2 रकबा 1.00 है0 की भूमि विद्यालय के खेल मैदान हेतु सुरक्षित है । अतएव तहसीलदार देवेन्द्रनगर का प्रतिवेदन दिनांक 05.06.2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पन्ना, जिला–पन्ना का प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2014 निरस्त किया जाना न्यायोचित है ।

5/ निगरानीकर्ताओं के अभिभाषक का यह भी तर्क है कि ग्राम बड़ागांव की आराजी नं0 798/1 रकबा 4.00 है0 के अंशभाग पर विद्यालय का निर्माण किया जा चुका है । प्रमाण स्वरूप विद्यालय की फोटो समक्ष में पेश की गई है जिस पर निगरानीकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायलयों के मूल प्रकरण व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आवेदकगणेंा को ग्राम बड़ागांव की आबादी भूमि खसरा नं0 792 की भूमि का मकान निर्माण हेतु पट्टे सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव जिला–पन्ना द्वारा प्रदाय किये गये थे । इसी क्रम में सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा अपर तहसीलदार देवेन्द्रनगर के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बड़ागांव की आबादी की भूमि खसरा नं0 792 पर अनावेदकगणों द्वारा निर्माण किया जा रहा है । अतएव अनावेदकगणों के विरूद्ध स्थंगन आदेश जारी किया जावे। अपर तहसीलदार देवेन्द्रनगर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 141/बी–121/वर्ष 1993–94 में पारित आदेश दिनांक 30.06.1995 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत बड़ागांव के उपसरपंच एवं पंचगणों द्वारा जारी आपत्ति रहित प्रमाण–पत्र तथा अनुमति के कन्छेदी पट्टा पाने के मुश्तहक है। गत वर्ष ग्राम पंचायत के चुनाव हुये, जिसस ग्राम पंचायत बड़ागांव अस्तित्व में आ गई है। ग्राम पंचायत कन्छेदी पिता बन्दी दुबे साकिन बड़ागांव को नियमानुसार प्रीमियम जमा करवाकर

क्त आबादी खेत्र का पट्टा प्रदाय करें। तहसीलदार के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकर्तागणों द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार 01 से लगायत 20 तक को सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागावं द्वारा प्रीमियम राशि जमा कराकर नियमानुसार तत्समय आबादी भूमि के पट्टे प्रदाय किये गये है इसी तरह तहसीलदार देवेन्द्रनगर के न्यायालयीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 65 / अ–68 / वर्ष 2008–2009 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2009 को अतिक्रमण प्रकरण चलाया गया । तहसीलदार के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पन्ना, जिला–पन्ना के न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील दायर की गई । अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पन्ना के न्यायालीन अपील प्रकरण क्रमांक 27 / अ–68 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी 2012 में तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया जाता है कि पटवरी द्वारा ग्राम बड़ागांव की वाद ग्रस्त आराजी म0प्र0 शासन आबादी मद में दर्ज है के जुजरकबा 200X100 फुट पर खखरी बनाकर अतिक्रमण करने का प्रतिवेदन अपीलार्थी / अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / अनावेदक का 4.08 है0 पर अतिक्रमण मानकर खखरी बनाकर अवैध कब्जा मानते हुये पूरे रकबे से बेदखल किया गया है जो पटवारी प्रतिवेदन से भिन्न है तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अपीलार्थी / अनावेदक का 4.08 है0 पर अतिक्रमण का कोई प्रमाण संलग्न नहीं है । पटवारी अपने कथन / प्रतिवेदन में अपीलार्थी / अनावेदक का 200X100 फुट पर अतिक्रमण बताया गया है । अपीलार्थी / अनावेदक द्वारा वादग्रस्त आराजी के 40X60 फुट पट्टे की भूमि पर कब्जा होना बताया। शेष आराजी पर अतिक्रमण होना नहीं बताया गया है । इस प्रकार अनावेदक द्वारा आबादी भूमि का प्रस्तुत पट्टा, पटवारी प्रतिवेदन एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के रकबे में भिन्नता पाई जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को 4.08 है0 के रकबे से बेदखल किया गया है । जबकि पटवारी द्वारा 200X100 फुट पर अपीलार्थी के विरूद्ध पंचायत द्वारा प्रदत्त पट्टे के अनुसार ही 40X60 फुट पर कब्जा होना स्वीकार किया है । तदैवनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवेन्द्रनगर, जिला–पन्ना का पारित आदेश दिनांक 15.09.2009 निरस्त किया गया है । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागणों को ग्राम बड़ागांव, स्थित भूमि खसरा नं0 792 आबादी भूमि के ग्राम पंचायत बड़ागांव, जिला–पन्ना द्वारा पट्टे प्रदाय किये गये है । तहसीलदार देवेन्द्रनगर

से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना, जिला—पन्ना की प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार देवेन्द्रनगर का प्रतिवेदन दिनांक 05.06.2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना, जिला—पन्ना का प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2014 की प्रचलति कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्तागणों को ग्राम बड़ागांव स्थित भूमि खसरा नं0 792 पर ग्राम पंचायत बड़ागांव, जिला—पन्ना द्वारा आबादी भूमि के जारी पट्टे राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश पारित करते हुये, यह निगरानी स्वीकार की जाती है । कलेक्टर जिला—पन्ना को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बड़ागांव की आराजी नं0 798/1 रकबा 4.00 है0 जिस पर विद्यालय का निर्माण भी किया जा चुका है, विद्यालय के नाम सुरक्षित की जाये। तदैवनुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर